प्रेस विज्ञप्ति

01.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने मोहम्मद इजहार अंसारी और अन्य के मामले में मोहम्मद इजहार अंसारी से संबंधित 9.67 करोड़ रुपये कीमत की 62 अचल संपत्तियों को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा इजहार अंसारी, उनके ट्रक चालक सैय्यद सलमानी और अन्य के विरुद्ध भा.दं.सं., 1860 तथा कोयला खदान अधिनियम, 2017 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। झारखंड पुलिस ने मो. इजहार अंसारी व अन्य के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में झारखंड पुलिस ने अवैध रूप से ले जाए जा रहे 19.56 मीट्रिक टन कोयले के साथ उक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है।

ईडी की जांच में पता चला है कि मो. इजहार अंसारी ने कोल लिंकेज नीति का दुरुपयोग किया है जिसके तहत स्वयं के सीमित उपभोग के लिए इजहार अंसारी के लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) को सब्सिडी वाले कोयले का आवंटन किया गया था। मो. इजहार अंसारी की 13(तेरह) ऐसी एसएमई फर्मों को लगभग 86568 मीट्रिक टन कोयला आवंटित किया गया था, लेकिन अपने स्वयं के सीमित उपभोग के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के बजाय मो. इजहार अंसारी ने कोयले को खुले बाजार में बेच दिया और 71.32 करोड़ रुपये की आपराधिक आय (पीओसी) अर्जित की। आगे की जांच में पता चला कि ये 13 फर्म/संस्थाएं अपने दिए गए पते पर गैर-संचालित या/और अस्तित्व में नहीं थीं। जांच में यह भी पता चला है कि उन्होंने वाराणसी और धनबाद की खुली कोयला मंडियों में ऊंचे दामों पर ऐसे कोयले (सब्सिडी दर पर प्राप्त) को बेचकर भारी मात्रा में अपराधिक आय अर्जित की तथा इस आय का प्रयोग अनेक अचल संपत्तियों को खरीदने में किया है। ईडी की जांच से पता चला है कि सब्सिडी वाले कोयला आवंटन के एवज में इजहार अंसारी कुछ लोक सेवकों को भी रिश्वत/कमीशन देता था।

ईडी ने मो. इजहार अंसारी के ठिकानों पर तलाशी ली थी जिसके परिणामस्वरूप 3.68 करोड़ रुपये की भारी नकदी बरामद कर उसे जब्त कर लिया गया। इसके बाद मो. इजहार अंसारी को 16.01.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा, दिनांक 15.03.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष मो. इजहार अंसारी, इस्तियाक अहमद और मेसर्स राजहंस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की गई थी जिसका संज्ञान माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.03.2024 को लिया।

आगे की जांच जारी है।